ग्राम पंचायत धमच्याण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04. 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धमच्याण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रोशन लाल	01.04.13 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मक्खन लाल	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत धमच्याण के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.63
2	7	अनुदान राशि का उपयोग न करना	14.55
3	8	प्राप्त अनुदानों से अधिक राशि का व्यय करना	0.42
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.87

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः—**

ग्राम पंचायत धमच्याण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद,

अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.16 से 27.06.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 05/13, 08/14, 12/15 एवं 01/14, 06/14, 09/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत धमच्याण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 099/2016 दिनांक 27.06.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धमच्याण से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(i) ग्राम पंचायत धमच्याण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–1 से 3"** में निम्नविवरण अनुसार दिया गया है।

परिशिष्ट–1 स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदान

परिशिष्ट–2 तेरहवाँ वित्त आयोग

परिशिष्ट–3 मनरेगा

(ii) बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹5.00 लाख का भारी अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार रोकड़बही के अन्तिम शेषों का बैंक खातों से मिलान किया जाना अनिवार्य था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमानुसार रोकड़ बही के अन्तिम शेषों का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.16 को निम्नविवरणानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेषों में भारी अन्तर है जिसके लिए

स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	फण्ड/अनुदान	रोकड़ बही का अन्तिम शेष	बैंक में जमा	अन्तर
1	स्व स्त्रोत/अनुदान	992983	1479787.67	486804.65
2	TFC	824712	838321	13609
				500413.65

5 बजट प्राकलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.63 लाख का वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेंख एवं सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व (गृहकर) ₹62705/— की वसूली शेष थी, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः—

गृहकरः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	55425	27350	82775	66835	15940
2014—15	15940	28250	44190	2705	41485
2015—16	41485	28450	69935	7230	62705

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹14.55 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1455469 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा

विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 प्राप्त अनुदानों से ₹0.42 लाख का अधिक व्ययः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक राशि ₹41880/– **(परिशिष्ट 4 अनुसार)** प्राप्त अनुदानों (मानदेय सिलाई अध्यापिका व वेतन चौकीदार) से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमों के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है एवं व्यय को अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त वर्णित मदों पर प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस मद से किया गया था बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण अवधि में किये गये सभी निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.87 लाख के स्टोर का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर को क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹86970/—के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय किये सामान की न तो स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई थी व न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया था, जिसके अभाव में यह क्रय नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं उसकी प्राप्ति एवं निर्गम से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके क्रय किये गये सामान की प्राप्ति एवं निर्गम की स्टॉक प्रविष्टियाँ कर इसे नियमित करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण/निधि का नाम	फर्म/विक्रेता का विवरण	बिल सं0/दिनांक	वाउचर संख्या/माह	राशि (₹)	क्रय वस्तु का विवरण
1	स्व स्त्रोत व विविध अनुदान	श्री नरेश कुमार गाँव सरयाण डा0भल्टुखोड़	शून्य/शून्य	49 (iii)/24.6.14	15200	लकड़ी की चराई करवाई गई
2	—यथोपरि—	हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम	0306722/शून्य	73/24.9.15	7230	सीमेन्ट का क्रय
3	मनरेगा	मै0 रावत हार्डवेयर स्टोर	1469/25.02.14	19 (i)/24.6.14	15000	रेत 300 cft
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	1470/05.03.14	19 (ii)/24.6.14	15000	रेत 300 cft
5	मनरेगा	हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम	030678/शून्य	132/03.09.15	9640	सीमेन्ट का क्रय
6	मनरेगा	—यथोपरि—	—यथोपरि—	135/7.9.15	5060	—यथोपरि—
7	मनरेगा	मै0 दुर्गा भण्डार, पधर	3036/02.09.15	136/7.9.15	4840	सरिया 120 कि0ग्रा0
8	मनरेगा	पूर्ण चन्द सुपुत्र चकू	शून्य	176 (2)	5000	पत्थर तुड़ान 4 cmt
9	मनरेगा	—यथोपरि—	शून्य	176 (3)	5000	—यथोपरि—
10	मनरेगा	—यथोपरि—	शून्य	176 (4)/21.9.15	5000	—यथोपरि—
				योग	**86970**	

11 मजदूरों को किये गये ₹124324/– के कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत माह 06/2014 में मजदूरों को ₹124324/– का भुगतान निम्नविवरणानुसार "FPW खरयाण नाला" हेतु किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक/माह	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि
1	119	12.06.14	1035 से 1042 एवं 1220	18.5.14 से 31.5.14	108108
2	132	18.06.14	660	04.5.14 से 17.5.14	4500
3	166	21.06.14	1212	18.5.14 से 31.5.14	6840
4	174	21.06.14	–	18.3.14 से 31.3.14	4816
				योग	**24324**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरों को किये गये उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित माप–पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं? की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इन वाचउरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

12 सीमेन्ट ढुलान हेतु किये गये ₹15600/– के व्यय के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत धमच्याण द्वारा चयनित मास 09/2015 में मनरेगा से राशि ₹15600/–का भुगतान श्री भीखम राम सुपुत्र श्री मेद राम, गाँव खरयाण, डाकघर भल्टूखोड़ को सीमेन्ट ढुलान के एवज में निम्न विवरण अनुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	177	21.9.15	1600	सीमेन्ट ढुलान 40 बैग
2	178	21.9.15	3600	सीमेन्ट ढुलान 90 बैग
3	179	21.9.15	4800	सीमेन्ट ढुलान 120 बैग
4	180	21.9.15	1600	सीमेन्ट ढुलान 40 बैग
5	181	21.9.15	1600	सीमेन्ट ढुलान 40 बैग
6	182	21.9.15	2400	सीमेन्ट ढुलान 60 बैग
		योग	**15600**	

उक्त भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि :

(i) ग्राम पंचायत द्वारा इस ढुलान हेतु नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे निविदाऐं आमन्त्रित करना आदि की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है, जिस कारण न्यूनतम बाजारीय भाव पर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया है।

(ii) उक्त ढुलान जिस सीमेन्ट का दर्शाया गया है। उसके क्रय से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में ढुलान हेतु किये गये भुगतान को न्यायोचित व नियमानुसार नहीं ठहराया जा सकता है।

(iii) पंचायत द्वारा उक्त सीमेन्ट किन–किन कार्यों हेतु क्रय किया गया है से सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करने उपरान्त पंचायत के सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्य पक्का रास्ता तेगड़ में ₹788/– की मजदूरी का अधिक भुगतानः–

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस निर्माण कार्य हेतु मजदूरी के रूप में ₹59845/– का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि	टिप्पणी
1	150	13.9.15	3032, 3033	16.8.15 से 29.8.15	31428	माप पुस्तिका
2	192	26.9.15	3211	–यथोपरि–	2821	7495 पृष्ठ
3	207	28.9.15	3759, 3760	04.09.15 से 27.09.15	25596	34
				योग	**59845**	

उक्त मस्ट्रोलों में किये गये कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका 7495 पृष्ठ 34 की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त मजदूरी के विरूद्ध कार्य प्रगति ₹59057/– ही बनती है एवं मजदूरों को नियमानुसार इससे अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई ₹788/– के लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करने के उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का पूर्ण रूपेण रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है व इसके अतिरिक्त प्राप्त अनुदानों का विहित अवधि में सदुपयोग किया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(11) 2/2016—खण्ड—1—6676—6679 दिनाँकः26.12.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत धमच्याण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.